मेरठ विकास प्राधिकरण

की

82वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 30–4–2008

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30–4–2008 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30–4–2008 को आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के कैम्प कार्यालय में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में अपरान्ह 3.00 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नवत उपस्थिति रहीः–

1.	श्री शशि शेखर सिंह	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	उपाध्यक्ष
2.	श्रीमती कामिनी चौहान रतन	जिलाधिकारी, मेरठ	सदस्य
3.	श्री डी0 सी0 गुप्ता	प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ	सदस्य
4.	श्री गणेश शंकर त्रिपाठी	नगर आयुक्त, मेरठ	सदस्य
5.	श्री आर0पी0 कौशिक	प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0 सी0 आर0	सदस्य
6.	श्री ज्ञान सिंह	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ	सदस्य
7.	श्री एस0बी0 तिवारी	अपर निदेशक, जिला उद्योग, मेरठ	सदस्य
8.	सुश्री प्रभा सिंह	प्रतिनिधि अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), मेरठ	सदस्य
9.	श्री शैलेन्द्र चौधरी	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	संयोजक

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18–02–2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि

मेरठ विकास प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18–2–08 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्राधिकरण की 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

बोर्ड सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने की प्रगति से अवलोकित हुआ। अधीक्षण अभियंता, जल निगम द्वारा अपने पत्र दिनांक 17–4–08 में जो आपत्ति उठायी गयी थी, उसके सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण स्वंय इन आपत्तियों का निस्तारण करायेंगें तथा अधीक्षण अभियंता, जल निगम ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगें।

अनुपूरक प्रस्ताव 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद सं0–3

प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं की कालोनियों को नगर निगम को हस्तान्तरण करने की स्थिति का अवलोकन किया गया। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि हस्तान्तरण प्रकिया को तीव्र गति से कराने के लिए जिलाधिकारी प्रत्येक सोमवार को उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं नगर आयुक्त, नगर निगम के साथ बैठक कर हस्तान्तरण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करायेगें।

प्राधिकरण की 79 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

जोनल प्लान एवं रोड प्लान बनवाने की प्रगति पर बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण 15 मई तक मेपिंग की कार्यवाही अनिवार्य रूप से करायेगें। तदोपरान्त 15 जुलाई तक सहयुक्त नगर नियोजक जोनल प्लान तैयार कर प्रस्तुत करेगें।

प्राधिकरण की 80 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

लोहियानगर की अलोकप्रिय भवनों को बल्क में विक्रय न होने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारी स्तर पर एक बैठक कर सभी

कालोनाईजर/बिल्डर्स को बुलाया जाये, जिसमें नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मुख्यनगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं सहयुक्त नगर नियोजक भी बैठक में भाग लेगें। बैठक में लोहियानगर योजना के अलोकप्रिय भवनों को बल्क में निस्तारण के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। शहर की यातायात की व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण को समाप्त किया जा रहा है।

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद सं0–1

हापुड़ रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने वाले 45 मीटर मार्ग के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि इस कार्यवाही हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक निर्माण विभाग द्वारा की जायेगी तथा इसके अतिरिक्त इनर रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण व निर्माण की कार्यवाही भी लोक निर्माण विभाग द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर ली जाये, जिसमें उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण व मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग भाग लेगें। बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निर्णय लिया जायेगा।

मद सं0–2

शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे बारात घरों एवं फार्मस हाऊसों की स्थिति का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि सहयुक्त नगर नियोजक एन0सी0आर0 की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाये, जिसमें अधीक्षण अभियंता, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य अभियंता, नगर निगम बारात घर/फार्मस हाऊसों के सम्बन्ध में आख्या देगें। कि बारात घर/फार्मस हाऊसों का क्या भू–उपयोग है, शमनीय है या नहीं/ तथा निर्माण को किस श्रेणी में रखा जाये। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि अवैध रूप से संचालित हो रहे ऐसे बारात घरों को अंतिम नोटिस दिया जाये कि व अपने बारात घरों व फार्मस हाऊसों का विनियमितीकरण दिनांक 25–05–08 तक करा लें, इसके उपरांत अवैध रूप से संचालित हो रहे बारातघरों/फार्मस हाऊसों को सील कर दिया जाये। जोन ''डी'' में काफी बड़ी संख्या में बारातघरों/फार्मस हाऊस अवैध रूप से संचालित हो रहे है। अतः इनके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये। कार्यवाही

न करने के लिए अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखें।

मद सं0–4

ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव 2 मई, 08 तक तैयार कराकर अपर जिलाधिकारी, (भूमि अध्याप्ति) को प्रेषित कर दिया जायें। ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किये जाने के लिए निजी निवेश कर्ताओं से 'एक्शप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट' हेतु जो विज्ञापन दिया जाना है, उसका टरमस ऑफ रेफरेन्स सहयुक्त नगर नियोजक, एन0सी0आर0 दो हफ्ते में बनाकर प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगें। दिनांक 20–5–08 तक मुख्य अभियंता, मेरठ विकास प्राधिकरण विज्ञापन प्रकाशित कराने की कार्यवाही करेगें।

मद सं0–5

अवैध कालोनियों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा स्थिति का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि मद सं0–4 पर नियमितीकरण हेतु कालोनियों का विनियमितीकरण तत्काल कर उनके मानचित्र स्वीकृत किये जायें।

आवास विकास से प्रभावित कालोनियों को उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास के अधिकारियों के साथ बैठक कर विनियमितीकरण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करायेंगें।

ध्वस्तीकरण हेतु मद सं0–7 पर प्रस्तावित कालोनियों के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सहयुक्त नगर नियोजक, एन0सी0आर0 इन कालोनियों के सम्बन्ध में स्थिति का अवलोकन कर अपना अभिमत प्रस्तुत करें।

मलिन बस्ती के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि वहाँ पर नियमानुसार शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाये।

लोहियानगर आवासीय योजना में पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा विकसित भूखण्डों की मांग की गयी है,जिस पर विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि लोहियानगर योजना में एक पाकेट को विकसित कर केवल पुलिस

कर्मियों के लिए विज्ञापन निकालकर उनको वर्तमान रेट पर आवंटन की कार्यवाही की जाये। इसी प्रकार अगर पत्रकार बन्धु भी पत्रकार कालोनी के लिए भूखण्ड पाने के लिए इच्छुक हों तो उनके लिए भी योजना निकाल कर आवंटन की कार्यवाही की जाये।

प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या–1

वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक का वित्तीय विश्लेषण राजस्व प्राप्तियां–

बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए प्रस्तुत बजट का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2007–08 में जो बजटीय प्राविधान रहे हैं, उसका प्रत्येक मद में 25 % बढ़ाकर बजट स्वीकृत किया जाता है। अगर किसी मद में कोई संशोधन आदि की आवश्यकता हो तो तीन माह के बाद पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।

मद संख्या–2

दिनांक 01.4.07 से दिनांक 31.03.08 तक के मानचित्रो की स्थिति

मानचित्रों के निस्तारण की रिपोर्ट को बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

मद संख्या–3

सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना हेतु मानक उपविधि अंगीकृत करने के संबंध में।

प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया।

मद संख्या–4

कॉमनवेल्थ गेम्स–2010 के दृष्टिगत आवासीय भूखण्डों में गेस्ट हाउस की अनुमन्यता के संबंध में।

प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया।

मद संख्या 5

रक्षापुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत निविदा–सह–नीलामी से आवंटित भूखण्ड सं0 सी–23 के अनुपलब्ध होने के कारण इसके बदले में रिक्त भूखण्ड सं0 सी–22 दिये जाने विषयक प्रस्ताव।

प्रस्ताव को इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया कि दूसरे मामले में यह दृष्टान्त न बने।

मद संख्या–6

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवासीय बल्क सम्पत्तियों, व्यवसायिक बल्क सम्पत्तियों, ग्रुप हाउसिंग व वाणिज्यिक एवं औद्योगिक सम्पत्तियों की कब्जा दिये जाने की शर्तो में शिथिलता का प्रस्ताव।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर कब्जे दिये जाने की शर्त पर प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया तथा निर्देश दिये गये कि अवशेष धनराशि की किश्त तीन साल के लिए 6 छमाही किश्तों के रूप में ब्याज सहित बनायी जाये।

मद संख्या –7

वर्निका एस्टेट प्रा0लि0 407, 408, रूट्स टावर लक्ष्मी नगर, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, नई दिल्ली–92 को ग्राम शोभापुर तहसील व जनपद मेरठ में 96 एकड़ की आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु लाईसेन्स जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

वर्निका एस्टेट प्रा0लि0 को लाईसेंस प्रदान करने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्निका एस्टेट प्रा0लि0 द्वारा जो भूमि क्रय की गयी है, उसमें अनुसूचित जाति की क्रय की गयी भूमि को छोड़ते हुए यदि 25 एकड़ भूमि वर्निका एस्टेट प्रा0लि0 के पास उपलब्ध होती है तथा उसकी लोकेशन अनुसूचित जाति की व्यक्ति से क्रय की गयी भूमि से अलग हो तो लाईसेंस दे दिया जाये।

मद सं0–8

मै0 दीवान दौलतराम एजूकेशन फाउण्डेशन का शैक्षिक मानचित्र सं0 115/07 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि पहले जो भाग अशमनीय है, उसको तत्काल हटाया जाये तथा उसके उपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखें।

मद संख्या–9

अग्रभाग में हुए अनाधिकृत निर्माण को शमन न किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

मद सख्या–10

प्राधिकरण की शताब्दी नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम अछरोंडा की भूमि खसरा नं0–178 मि0 क्षेत्रफल 3327 वर्गगज के बदले भूमि दिये जाने हेतु मै0 श्री जी0गैसेस प्रा0 लि0 के अधिशासी निदेशक श्री दिनेश कुमार जैन के प्रार्थना–पत्र पर विचार।

दिनेश कुमार जैन के प्रकरण में निर्देश दिये गये कि इनकी वर्णित भूमि पर देय धनराशि के बराबर भवन/भूखण्ड उपलब्ध करा दिये जायें ।

मद संख्या–11

गंगानगर योजना के पॉकेट सी में स्थित अल्प आय वर्ग श्रेणी के भवन सं0 सी–400 की दण्ड ब्याज आदि की माफी विषयक प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि दण्ड ब्याज की धनराशि 1,63,614/– माफ की जाती है तथा शेष धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक मद सं0–1

शताब्दीनगर आवासीय योजना के सैक्टर 6 के अन्तर्गत आवंटित उच्च आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड सं0 6/413 क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर विकसित न होने के कारण इसके बदले में शताब्दीनगर योजना के सैक्टर 4 सी के पाकेट जी में रिक्त भूखण्ड सं0 जी–3 क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर दिये जाने विषयक प्रस्ताव।

शताब्दीनगर योजना में कब्जा परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरण पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि ऐसे समस्त प्रकरण की सूची तथा प्रस्ताव तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।

(शैलेन्द्र चौधरी)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(शशि शेखर सिंह)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

23.05.08

(देवेन्द्र चौधरी)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।